प्रयत्न किया, जो आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के अधीन था और इन लोगों के आचरण इस प्रकार के थे जिनसे प्रतीत होता था कि उनका इरादा वहां से हटने का नहीं था और उनके स्वयं जन-शान्ति भंग करने और दूसरों को ऐसा करने के लिए भड़काने की सम्भावना थी।

(क) मामले की परिस्थितियों में साधारण तौर पर अथवा किसी विशेष जख्मी व्यक्ति के बारे में प्रयोग की गई शक्ति आवश्यकता से अधिक सिद्ध नहीं हुई है।

(ख) पुलिस ने केवल बैंतो का प्रयोग किया, लाठियों का नहीं;

(6) जार्ज फर्नाड़ीज़ को अस्पताल ले जाने के मामले में, जबकि वे जख्मी हो गये थे, परिहार्य विलम्ब हुआ था। पुलिस द्वारा, (I) किस पुलिस सिपाही ने और किन परिस्थितियों में सिर पर चोट पहुँचाई; और (II) श्री मरवाह द्वारा कठोर व्यवहार किये जाने और (III) जार्ज फरनाडीज को अस्पताल ले जाने में विलम्ब जैसे मामलों में उचित जांच की जानी चाहिए थी।

(7) (क) यदि यह सिद्ध नहीं हो सका कि पुलिस ने किसी संसद सदस्य को संसद की ओर जाने से अनुचित रूप से रोका हो;

(ख) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का परिचय-पत्र पुलिस के किसी सिपाही द्वारा फाड़ा गया था, परन्तु जिस सिपाही ने इसको फाड़ा था उसकी पहचान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं;

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया पेट में किसने लात मारी यह जानने के लिए भी प्रमाण नहीं है।

(8) इस बारे में भी कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि श्री बिहारी पटेल चौक में हुए केन-चार्ज से घायल हुए और उसके फलस्वरूप लगने वाली चोट से ही उनकी मृत्यु हुई थी।

(9) यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि श्री बाबू लाल, पटेल चौक में प्रदर्शनकारियों में से किसी के द्वारा तीर छोड़े जाने पर, घायल हुए थे।

(10) श्रीमती शान्ति नायक से सम्बन्धित घटना पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव-जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी) : अध्यक्ष महोदय ! राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीन दिन तक वाद-विवाद हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है तथा जिन्होंने उपयुक्त सुझाव दिये है मैं उनकी आभारी हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण में महान जागृति के आरम्भ की झलक पाई हैं। नई पीढ़ी ने हमारे प्रति जो विश्वास दिखाया है तथा हमें शक्ति दी है उसके

सहारे अब हम नवीन प्रारम्भ के प्रवेश द्वार पर हैं। जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश विदेश में जो निराशाजनक भविष्यवाणियों की जा रही थीं वे सब बनावटी भविष्य-वक्ताओं की फुसफुसाहट मात्र थी।

मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि मैं इस भारी समर्थन को कोई उपलब्धि न मानकर कार्य करने का एक भावना ही मानती हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ ऐसे कार्यों की ओर संकेत किया गया हैं जिन्हें सरकार इस अवसर का लाभ उठा कर करना चाहती है। साथ ही सरकार रचनात्मक आलोचना का भी स्वागत करती है जिससे हमें अपने कार्यक्रमों में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

मैंने अपने प्रत्येक चुनाव-भाषण में सब स्थानों पर कहा था कि अभी हमने बहुत से कार्य करने हैं तथा हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी है। हमें समर्थन देने वालों को कठिन परिश्रम करने तथा सम्भवतः कुछ खतरों का भी मुकाबला करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। श्री फतहसिंह राव गायकवाड द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की दैनीय स्थिति के प्रति तथा श्रीमती गायत्री देवी द्वारा गरीबों के लिए जो भारी चिन्ता व्यक्त की है उसका मेरे हृदय पर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। किन्तु निजी थैलियों की तुलना में गरीबों के लिए आंसू बहाना सरल प्रतीत होता है। मैं उन्हें तथा सदन को विश्वास दिला देना चाहती हूँ कि सामन्तवाद के यह चिह्न अधिक दिन तक नहीं रह सकते।... (व्यवधान)

वायु, जल और भूमि को दूषित होने से बचाने की मांग का भी मै समर्थन करती हूँ। प्राकृतिक अनियमितताओं से होने वाली कठिनाइयों से भी बचने के सम्बन्ध में मेरी अधिक रुचि है।

कुछ माननीय सदस्यों की इस शिकायत की ओर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन का उपयोग सत्तारुढ़ दल के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। मैंने आकाशवाणी से केवल उसी समय प्रसारण किया था जब लोक-सभा भंग किये जाने की घोषणा की गई थी। निर्वाचित आयोग के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी विधि तथा न्याय मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

इस अवसर पर गरीबी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जाना स्वाभाविक ही था। गरीबी की समस्या हमारे सामने बहुत दिनों से विद्यमान हैं। मैं इसके प्रति आज ही जागरुक नहीं हुई हूँ। मैं संकोच के साथ इतना निवेदन कर देना चाहती हूँ कि इस गरीबी की समस्या से चिंतित हो कर ही मेरे परिवार ने अपनी अधिकांश सम्पत्ति का त्याग करने का निर्णय किया था तथा 1920-21 में अपनी जीवन चर्या में पूरा परिवर्तन लाने का निर्णय किया था।

स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् बहुत कुछ उपलब्धियां हुई हैं। उन दिनों की तुलना में आज के लोगों का रहन-सहन बहुत अच्छा है। क्या कोई माननीय सदस्य इस बात का दावा कर सकते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में, उदाहरणार्थ, राजस्थान अथवा मध्य प्रदेश में, राजे-महाराजों के समय की तुलना में कम कार्य किया गया है? तथापि यह सच है कि अभी देश में गरीबी है तथा बहुत से लोगों की मूल-आवश्यकताए भी पूरी नहीं हो रही है। हमारी विकास योजनाओं के साथ-साथ जनता की आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं तथा बढ़ती ही रहेगी।

माननीय सदस्य श्री वाजपेयी तथा उनके दल ने तो गरीबी के विरुद्ध संघर्ष का नारा ही लगाया था किन्तु हमारा संघर्ष वास्तविक है। यह उल्लेखनीय बात है कि जनता जनसंघ के इस स्वर्ण मृग की ओर आकर्षित नहीं हुई तथा स्वतन्त्र पार्टी के बचन चातुर्य तथा घिसे पिटे आर्थिक सिद्धान्तों के बहकावे में भी नहीं आई। गाय और बछड़े के चिह्न से यह सिद्ध हो गया है कि यह कोई धार्मिक चिह्न नहीं था अपितु यह चिह्न ग्रामीण और नगरीय जनता की समृद्धि से सम्बन्धित था। विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों तथा उनके कार्यों का अध्ययन करने के पश्चात् जनता ने अपनी सम्मति बताई तथा इस सम्बन्ध में निर्णय किया।

माननीय सदस्य श्री गोपालन ने सरकारी नीतियों की आलोचना करते समय कुछ केन्द्रीय परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि केरल के साथ न कभी भेद भाव किया गया है और नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह भी देश का एक सुन्दर भाग हैं तथा वहां के लोगों की भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यह सच है कि सरकार का यह प्रस्ताव था कि वहां 'प्रिसीजन इस्ट्रूमेंट प्लांट' और 'कीटो कैमीकल्स प्लांट' की स्थापना की जाये किन्तु पुनःअवलोकन करने पर इन कारखानों के उत्पादों की मांग उपयुक्त नहीं पाई गई। अतः उस प्रस्ताव की क्रियान्विति नहीं हो सकी है। सरकार को औद्योगिक तथा अन्य कार्यक्रमों के बारे में लगातार अध्ययन करना होता है तथा स्थिति के अनुकूल कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं।

जहां तक कोचीन शिपयार्ड का सम्बन्ध है श्री गोपालन को उसके बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। शिपयार्ड के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इसके निर्माण के लिए सलाह देने के लिए मित्सुबिसी हैवी इण्डस्ट्रीज के साथ करार किया जा चुका है। यह परियोजना पांच वर्ष की अवधि में पूरी होगी तथा इस पर 45.43 करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान है। 1971-72 के अन्तरिम बजट में तीन करोड़ रुपयों की व्यवस्था भी कर दी गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एकाधिकार गृहों तथा उनमें से कुछ को नये लाइसेंस देने के बारे में उल्लेख किया है। एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति दोनों में से किसी में भी यह व्यवस्था नहीं है कि व्यापार गृहों को नये लाइसेंस दें या न दिये जायें। इनमें उन सीमाओं और शर्तों का निर्धारण है जिनके अन्तर्गत व्यापार गृह आगे विस्तार कर सकते हैं।

अलग-अलग मामलों में किये गये निर्णयों का कार्य उन नीतियों से हटना नहीं हैं जिनका स्पष्ट रूप से ब्यौरा दिया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य औद्योगिक प्रगति और रोजगार अवसरों में वृद्धि, पिछड़े हुये क्षेत्रों का तेजी से विकास, मूल उद्योगों का शीघ्रता से विकास और आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भरता की प्राप्ति के कई लक्ष्यों में ताल मेल बिठाना है।

सरकार द्वारा किये गये अन्य निर्णयों की उपेक्षा कर के केवल बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये जाने की बात पर ही विचार करना उचित नहीं है। लघु उद्योगों के लिये बड़े क्षेत्रों को आरक्षित रखने, मध्यम स्तर के उद्योगों से बड़े उद्योग गृहों को पृथक रखने तथा सरकारी क्षेत्र के विस्तार से सम्बन्धित नीतियां भी बनाई गई हैं।

श्री ए०सी० जार्ज ने नागरीय क्षेत्र में आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ क्रियात्मक सुझाव दिये हैं। सदन इस बात से अवगत है कि हमने इस दिशा में आवास तथा नागरीय विकास वित्त निगम की स्थापना करके पहला कदम उठाया है। हम आगामी दो वर्षों में निगम के कार्यकलाप में विस्तार करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं संशोधनों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। कुछ संशोधनों के बढ़ते हुये मूल्यों का उल्लेख किया गया है तथा मूल्यों में वृद्धि को रोकने की मांग की गई है। इस मामले से मैं स्वयं तथा मेरे सभी सहयोगी बहुत चिन्तित है। गत वर्ष में मूल्यों से अधिक वृद्धि का कारण यह है कि व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकी है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि सूखा के कारण हमें अपनी पूरी शक्ति खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जुटानी पड़ी तथा अन्य फसलों के लिये इस अवधि में उपयुक्त सहायता नहीं दी जा सकी। खाद्यान्नों के मूल्यों में सामान्यतः वृद्धि नहीं हुई जो उनके उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में सफलता का द्योतक है।

पारस्परिक निर्भरता वाली अर्थ व्यवस्था में एक क्षेत्र में बढ़ने वाले मूल्यों का दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि जनता इसके लिये शीघ्र ही कोई मुआवजा प्राप्त करने पर बल न दे। सरकार समाज के निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा करने में पूरी रुचि रखती है क्योंकि इन पर बढ़ते हुये मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है।

माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे कि हाल के वर्षों में मूल्यों में वृद्धि होने का आंशिक कारण यह भी था कि सरकार चाहती थी कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। इस प्रक्रिया से छोटे स्तर के किसानों अथवा भूमिहीन श्रमिकों तथा गरीब जनता को भी कोई हानि नहीं हुई है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों ही के हितों में तालमेल बिठाई जाये। मूल्य सम्बन्धी नीति इसी प्रकार सफल हो सकती है। किसी एक वर्ग की अपेक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र के कल्याण को ही श्रेष्ठतम मानना चाहिये। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मूल्यों में वृद्धि की समस्या अन्य देशों में भी अनुभव की जा रही है तथा इन में बहुत से विकसित देश भी सम्मिलित हो। यह सच है कि हमारे सामने यह समस्या अधिक जटिल है क्योंकि हमारे यहां बहुत से लोगों का जीवन स्तर नीचा है। फिर भी विकाशशील देशों में यह समस्या किसी न किसी सीमा तक बनी ही रहती है।

हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जैसे विकासशील देश में ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सकती जिसमें बजट में बचत दिखा कर मुद्रा-स्फीति को रोका जाये तथा ऐसे उपाय किये जायें जिससे पूंजी-निदेश का स्तर नीचा रखा जाये। ऐसे देशों में पूंजी-निवेश में वृद्धि अवश्य होनी चाहिये। प्रातः ऐसी योजना को कार्यरुप देते समय जो हमारे संशोधनों की तुलना में तो बड़ी है किन्तु जनता की आवश्यकताओं की तुलना में पर्याप्त बड़ी नहीं है, मूल्यों में कुछ वृद्धि होना तो निश्चित ही है।

आम चुनावों के तुरन्त पहले की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों के मामले में भी आलोचना की गई थी। औद्योगिक बिकास मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक विशिष्ठ प्रश्न का उत्तर दिया

श। इस सम्बन्ध में कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार को ठीक समय पर लाइसेंस देने पर भी तथा लाइसेंस देने में देरी करने पर दोषी ठरहाया जाता है।

वर्ष 1970 में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई हैं जिससे ज्ञात होता है कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है। जून 1970 के पश्चात्, जब एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया था, तभी सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में व्यवस्था लाने के लिए नीतियों और प्रक्रिया बनानी पड़ी थी। चुनावों से ठीक पहले की अवधि में दिये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो उससे पहले अपनाई जाती थी। तथा जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था इस सम्बन्ध में किसी को कोई छूट नहीं दी गई है।

अन्य संशोधनों में शेष बैंकों, विदेश व्यापार, प्रमुख और मूल उद्योगों आदि के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई हैं। गत वर्ष भी मैंने इन संस्थाओं के तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं के राष्ट्रीकरण की मांग के बारे में सरकार के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया था। सरकार राष्ट्रीयकरण से न तो डरती है और न ही राष्ट्रीयकरण को साध्य ही मानती है। सरकार जिस दिशा में बढ़ना चाहती है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र इतना समर्थ हो कि वह पूंजी-निवेश की दिशा और गति पर प्रभुत्व और नियन्त्रण रख सके, तथा हमारे उपलब्ध संसाधनों का यथासम्भव उपयोग हो सके। किसी उद्योग अथवा गतिविधि के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव को दो कसौटियों पर कसा जाना अत्यन्त आवश्यक है। पहली कसौटी है कि क्या सरकारी क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिये किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। दूसरी कसौटी यह हैं कि क्या ऐसा करने से हमारे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति होनी है। बैंक राष्ट्रीयकरण इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरा था।

इसी प्रकार यदि किसी उद्योग अथवा कारखाने के कार्यकरण से राष्ट्रीय हितों को हानि होती है तो सरकार उसे अपने अधिकार में लेने से नहीं हिचकिचायेगी। लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताओं से भी विचलित नहीं होना चाहिये, जो इस समय विकास कार्यक्रमों में तेजी लाना तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है। हम जितने भी संसाधन जुटा सकते है उन्हें यथासम्भव सरकारी क्षेत्र की नई तथा उत्पादक गतिविधियों में लगाना चाहिये। आगामी कुछ वर्षों में हम गरीबी के विरुद्ध कड़े संघर्ष में जुट जायेंगे। हमें लक्ष्यहीन संघर्ष में अपनी शक्ति और संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकती है।

बेरोजगारी की समस्या पर प्रायः सभी वक्ताओं ने गम्भीर चिंता व्यक्त की है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है अपितु ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों के समक्ष भी विद्यमान है। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि भारत में यह समस्या इतनी व्यापक कैसे हो गई। व्यवस्थित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध हैं तथा इनसे ज्ञात हो जाता है कि इस सेवा में सातवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रोजगार अवसरों की वृद्धि दर संतोषजनक थी अर्थात् तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में यह दर 6.8 प्रतिशत थी किन्तु 1964-65

से यह दर घटनी आरम्भ हो गई थी तथा 1967-68 में यह नगण्य ही रह गई थी। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हुई धीमी प्रगति से ही रोजगार अवसरों में कमी हुई है।

श्री कृष्णमेनन ने अपने भाषण में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। भारत में इस समस्या का अत्यन्त गम्भीर पहलू यह नहीं है कि लोग पूरी तरह बेरोजगार हैं अपितु यह है कि लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिला है। अतः समस्या की सीमा बताना कठिन है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तथ्य का निरुपण कुछ समय पूर्व एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। अतः विश्वसनीय आंकड़ों के न होने पर हमें अनिश्चित आंकड़ों से चिंतित नहीं होना चाहिये। इस समस्या पर सदन तथा सदन से बाहर भी चिंता व्यक्त की गई है। मैं स्वयं भी इस समस्या से चिंतित हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि जन शक्ति का उपयोग न किया जाना मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन का अपव्यय मात्र है। शिक्षित नई पीढ़ी जिन गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रही है मैं उनसे अपरिचित नही हूँ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने 'परायेपन' शब्द का उल्लेख किया है। सम्भवतः सभी प्रकार की परायेपन की भावनाओं में, उन योग्य युवकों और युवतियों में निरुत्साह की भावना सबसे अधिक खतरनाक होती हैं जिन्हें उत्पादक रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। यह अर्थ-व्यवस्था तथा मानव के लिए दुःखद घटना है। यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है तो हम उनके लिये चिंता व्यक्त करने की दुहाई नहीं दे सकते हैं।

जो व्यक्ति यह अनुभव करने लगते हैं कि समाज को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो वे परायेपन की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। किन्तु कुछ व्यक्ति अन्य प्रकार से भी विदेशी बन जाते है जैसे कि नक्सलवादी। कुछ विशेषज्ञ अथवा ऊँचा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति भी स्वदेश में विभिन्न कठिनाइयों का मुकाबला करने तथा अपनी संतान के लिये अच्छी परिस्थिति उत्पन्न करने में सहायक होने की अपेक्षा अच्छे अवसर तथा अधिक आय प्राप्त करने के लिये विदेशों में रहना पसंद करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि भारत अन्ततोगत्वा ऐसे लोगों को पुनः स्वदेश में वापस लाने में सफल होगा जो स्वयं को विदेशी या पराया मानते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे लोगों को भत्ते देने की मांग की हैं जो बेरोजगार हैं। मेरे विचार से उनकी समस्या का यह उपयुक्त समाधान नहीं है। हमें उनको ऐसी सहायता पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। हमें उनको रोजगार देने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस प्रयोजन के लिए हमें यथासम्भव संसाधनों को जुटाना चाहिये तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी-निवेश के स्तर को बढ़ाना चाहिये। हमें योजना का पुनः अवलोकन इस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि हमारे विकास कार्यक्रम रोजगार प्रधान हों। मैं इस विचार से भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि यदि हम योजना के प्रति सावधानी बरतेगें तो रोजगार की समस्या स्वयं ही हल हो जायेगी। मैं इस बात को पूरी तरह समझती हूँ कि बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर और जटिल है कि उसे हल करने के लिये हमें विशिष्ठ उपाय करने होंगे। यह समझना होगा कि अधिक रोजगार-क्षमता वाले कार्यक्रमो कौन से हैं तथा उनकी क्रियान्विति पर विशेष बल देना होगा।

गत मई मास में सदन के समक्ष नये रूप में प्रस्तुत की गई योजना में इस प्रकार की कुछ योजनाओं के सम्मिलित किया गया है। सदन को छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि से सम्बन्धित योजनाओं का पता ही है। अब योजना की क्रियान्विति आरम्भ हो चुकी है। योजना अवधि के दौरान विशेष कार्यक्रमों के लिये 235 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। छोटे किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिए परियोजनाओं को लगभग 300 करोड़ रुपयों की वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसी प्रकार बारानी खेती के लिये लगभग 150 करोड़ रुपयों की सहायता दिये जाने की सम्भावना है। गत सप्ताह प्रस्तुत किये गये बजट में वित्त मंत्री ने 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की और भी संकेत किया है।

मैं जानती हूँ कि प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि यह राशि कम है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इस जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार के अवसर बनाने से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों के अनुपूरक हैं। सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हुये मैंने घोषणा की हैं कि ये कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ कर दिये जायेंगे। श्री वाजपेयी की सूचनार्थ में बताना चाहती हूँ कि इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी योजनायें और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तथा कुछ ही दिनों में उनकी क्रियान्विति आरम्भ हो जायेगी।

इस कार्यक्रम को हम बहुत व्यापक बनाना चाहते है। जैसा कि में कह चुकी हूँ की इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है किन्तु प्रस्तावित निर्माणकार्यों में शिक्षित व्यक्तियों, तकनीसियनों तथा इन्जीनियरों को भी अवसर प्रदान किये जायेंगे।

हमें इस बात का ध्यान है कि शिक्षित बेरोजगारों को बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी बनाने है। इसके लिए शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिये। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी लगाकर औद्योगिक प्रगति में वृद्धि करना ही अत्यन्त प्रभावोत्पादक समाधान है।

इस प्रश्न के साथ ही सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश के स्तर को ऊंचा करने का राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अधिक पूंजी निवेश की सम्भावना तभी हो सकती हैं जब कार्यकुशलता तथा उत्पादिता में सभी ओर प्रगति होगी। उत्पादन में वृद्धि होने पर ही हम बचत के रूप में उपलब्ध पूंजी को अन्यत्र लगा सकते हैं। अतः रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का बेरोजगारों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे उत्पादित्त में वृद्धि करें। श्री खाडिलकर ने सदन को बताया है कि सरकार धार्मिक संघों के नेताओं तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना चाहती है जिससे उत्पादित के स्तर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में उनका सहयोग और सहायता मिल सकें।

कई माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। श्री पी०आर० दास मुन्शी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवो के आधार पर बड़ा मार्मिक भाषण दिया है। सरकार इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वहाँ हिंसा को समाप्त किया जाये,

चाहे उसके लिये कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी हो तथा उनके पीछे कोई भी उद्देश्य हो। हमने हिंसा को रोकने के लिये ही उपयुक्त कार्यवाही की है तथा करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति केवल पुलिस द्वारा हल नहीं की जा सकती। हमें पता हैं कि इस सम्बन्ध में अन्य उपाय भी किये जाने चाहिये तथा हम उनकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

कलकत्ता तथा उनके आसपास के स्थानों का पुनुरुत्थान करने के लिये बहुत बल दिया गया है तथा बंगाल के अन्य भागों का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण समझा गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भूमि-सुधार कानून को जनता की आकांक्षाओं और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये पहला कदम उठाया गया था। अन्य सरकारों से भी ऐसा ही करने का निवेदन किया जा रहा है

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों तथा संशोधनों में केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों, विशेषकर वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख किया है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विषय पर कई अवसरों पर लम्बे वाद-विवाद हुये हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों तथा मुख्य मंत्रियों की बैठकों में भी इस समस्या पर विचार-विमर्श किया गया है। उनका वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अन्य स्तरों पर भी हाल ही में अध्ययन किया गया है। मेरे विचार से शक्तियों के बंटबारे से सम्बन्धित योजना में हमारे संविधान में राज्यों तथा केन्द्र के लिये उपयोगी व्यवस्था की गई है। इसमें समस्याओं को हल करने के लिये वित्तीय व्यवस्था विद्यमान हैं। संविधान में विशेषकर यह भी व्यवस्था है कि राज्य और केन्द्र के बीच वित्तीय सम्बन्धों का समय-समय पर वित्तीय आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। आयोग के पंचाट के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को भारी संसाधन हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

सहयोग के बिना केवल नियमों के सहारे कोई भी संघ सफल नहीं हो सकता। समय समय पर सभी राज्यों से बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों के बारे में समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं; चाहे वहां किसी भी दल की सरकार रही हो अतः समस्या यह नहीं है कि केन्द्र सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाता अपितु समस्या यह है कि केन्द्र तथा राज्य परस्पर मिल कर जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक ससाधनों को जुटाने में किस प्रकार प्रयत्न कर सकती हैं। राष्ट्रीय एकता में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को ऐसा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में उनका पारस्परिक सहयोग मिल सके।

जिन प्रयत्नों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है राष्ट्रपति ने सदन के सदस्यों से उनमें सहायता देने का अनुरोध किया है। मैं भी उस अनुरोध को दोहराती हूँ। प्रजातन्त्र प्रणाली क्या एक उपदेश यह भी है कि देश के हित की सभी को चिन्ता होनी चाहिये। हम चाहे यहाँ पर अथवा सदन से बाहर एक दूसरे की आलोचना करें किन्तु हमें देश की समृद्धि के लिए कार्य मिलकर करना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : प्रधान मन्त्री को वहां की नवीनतम स्थिति के रे में कुछ बताना चाहिये क्योंकि आज सभा स्थगित हो रही है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने जानबूझ कर इस विषय को नहीं उठाया । इस सम्बन्ध में गहरी चिन्ता है तथा मैं नहीं समझती कि इस अवसर पर क्या कहूँ । **(व्यवधान)** सभा ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श करना कुछ कठिन है । समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय स्यों को सभी जानकारी है । वहां अभी लड़ाई चल रही है तथा वहां की जनता भारी ठेनाईयों का सामना कर रही है । पारित करके हमने अपनी भावनाओं को शिष्टता पूर्वक क्त कर दिया हैं । यदि माननीय सदस्य विशेष जानकारी पाना चाहते हैं । तो विपक्षी दलों नेता मुझसे मिल सकते हैं तथा वहां किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में 265 संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । मैं उन ी को मतदान के लिये रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived.

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपको ाननीय सदस्यों से पूछ लेना चाहिये था कि वे किन संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं । मैं ाहता था कि संशोधन संख्या 12 अलग से रखा जाये । मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा ग ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जानकारी मुझे पहले मिलनी चाहिये थी । अब मैं अपना ाषय नहीं बदल सकता । **(व्यवधान)**

श्री ए०के० गोपालन (पालघाट) : महोदय ! यह बहुत बुरी बात है । सदन में ऐसा हले कभी नहीं हुआ **(व्यवधान)**.....मैं इसके विरोध में सभा से उठकर जाता हूँ ।

श्री ए०के० गोपालन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये

Shri A. K. Gopalan and some other hon. Members left the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक ावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 23 मार्च, 1971 को एक साथ समवत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक अभारी है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याहन भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock)